172

कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

Standing
परिपत्र क्रमांक 5 /1982

पुलिस विभाग में कानिस्टेबिल के पद पर नियुक्ति करने के सम्बंध में कई ऐसे मामले ध्यान में आये है, कि जिला/युनिटस में कानिस्टेबिल के पद हेतु मनोनीत रिक्रूटमेन्ट बोर्ड द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1974 एवं पुलिस मुख्यालय से समय-समय पर नियुक्ति के सम्बंध में प्रसारित परिपत्र एवं स्थाई आदेशों की और कोई ध्यान नहीं दिया जाकर शारीरिक परीक्षण करने में अनियमितायें की जाकर नियुक्ति आदेश प्रसारित कर दिये जाते हैं, जिसके कारण प्रशिक्षण केन्द्रों पर स्क्रीनिंग करते समय उक्त अभ्यार्थी योग्य नहीं पाये जाने पर उनके केस को नियमित कराने के लिये इस कार्यालय को लिखा जाता है। यह प्रणाली गलत है।

अत: भविष्य में अनियमित नियुक्ति नहीं करने हेतु समस्त नियुक्ति अधिकारी गणों/रिक्रूटमेन्ट बोर्ड के अध्यक्ष और समस्त सदस्यों को निर्देश प्रदान किये जाते है कि भविष्य में कानिस्टेबिल के पद पर नियुक्ति से पूर्व आशार्थी की शारीरिक, शैक्षणिक तथा जन्म तिथि इत्यादि के सम्बंध में पूर्ण जांच की जावें। अगर भविष्य में अनियमित नियुक्ति का कोई मामला इस कार्यालय के ध्यान में आया तो नियुक्ति अधिकारी/रिक्रूटमेन्ट बोर्ड के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी ठहराई जायेगी तथा अनियमित नियुक्ति के मामले में वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।

ह० (Singhvi)

(ज्ञान चन्द सिंघवी)
महानिरीक्षक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- न-5(6)टीटीआर-फोर्स/81/6672-747 दिनांक :- 5-7-82

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1) समस्त अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस, राज०, जयपुर
2) समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस राज०, मय आर०ए०सी०, जोधपुर
3) समस्त पुलिस अधीक्षक राज० मय रेल्वेज राज० अजमेर
4) सहायक महानिरीक्षक पुलिस (1) यातायात राज०, जयपुर
5) निदेशक, स्टेट पुलिस वायरलैस राज०, जयपुर/पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज०, जयपुर/प्रधानाचार्य राज० अकादमी जयपुर/ सी०पी०एपी एवं आर०ए०सी० प्रशि० केन्द्र, जोधपुर।
6) समस्त कमान्डेंट, पुलिस ट्रैनिंग स्कूल राज०/एम०बी०सी० खेरवाड़ा, उदयपुर आर०ए०सी० बटालियन मय आई० आर।

ह० 28/6/82

(पी०एन० ...)
सहायक महानिरीक्षक पुलिस (1)
राजस्थान, जयपुर।

28/6